न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No. 2020/00214 (Bank Case)
Manual no- 89/2020

एस.आर जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्पलेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर में स्थित व कार्यरत है ।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री कपिल सिंह चौधरी पुत्र श्री जसवीर सिंह चौधरी जाति जाट निवासी 236, स्वामी विवेकानंद नगर, इटावा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) 324005 **(ऋणी/बंधककर्ता)**
2. श्री जसवीर सिंह चौधरी पुत्र श्री अर्जुनलाल जाति जाट निवासी 94, कोटा रोड, इटावा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)–325004 **(सह–ऋणी व बंधनकर्ता)**
3. श्री गगन चौधरी पुत्र श्री दानमल चौधरी जाति जाट निवासी सेठ जी कि गली, गणेश खेडा,लुहावदा जिला कोटा (राज.) 325214 **(जमानती)**
4. श्री पुष्पेन्द्र सिंह सोंलकी पुत्र श्री तखत सिंह जाति राजपुत निवासी कंकर्दा, बजरंगगढ तहसील किशनगंज जिला बांरा (राज.) 325216 **(जमानती)**

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियां का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री धीरेन्द्र धाकड़, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः–23 .12 .2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि एस.आर जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्पलेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर से अप्रार्थीगण ने दिनांक 28.03.2017 को 10,00,000/– (अक्षरेः रूपये दस लाख मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री जसवीर सिंह चौधरी पुत्र श्री अर्जुन लाल जाति जाट की सम्पति जो पट्टा संख्या 25946 ,खसरा संख्या–1334,वार्ड सं. 4,ग्राम ईटावा, संकल्प संख्या10 दिनांक 27.10.2017 जिला कोटा (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 2240 वर्ग फीट है । चतुःसीमा– पूर्व में–श्री धन्ना लाल का मकान, पश्चिम में–श्री रामचन्द्र का मकान , उत्तर में–रोड, दक्षिण में– श्री बंजरग लाल का मकान ,जिसका पट्टा संख्या 25946 दिनांक 2710.2007 से ग्राम पंचायत इटावा,पंचायत समिति ईटावा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी जसवीर सिंह के नाम जारीसुदा है,** को प्रार्थी ने वित्तिय सस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 21.07.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में 12,96,663 रूपये (अक्षरेः– बारह लाख छियानवे हजार छ सौ तरेसठ रूपये मात्र ।) दिनांक 08.06.2019 तक व दिनांक 09.6.2019 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तिय सस्था ने उक्त एक्ट की

जिला मजिस्ट्रेट

धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 20.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत में दिनांक 12 जनवरी 2020 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तिय सस्था को नही संभलाया है । अतः प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने दिनांक 20.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत में दिनांक 12 जनवरी 2020 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 20.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत में दिनांक 12 जनवरी 2020 को प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **बंधक अचल सम्पत्ति श्री जसवीर सिंह चौधरी पुत्र श्री अर्जुन लाल जाति जाट की सम्पति जो पट्टा संख्या 25946 ,खसरा संख्या–1334,वार्ड सं. 4,ग्राम ईटावा, संकल्प संख्या10 दिनांक 27.10.2017 जिला कोटा (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 2240 वर्ग फीट है । चतुःसीमा– पूर्व में–श्री धन्ना लाल का मकान, पश्चिम में–श्री रामचन्द्र का मकान , उत्तर में–रोड, दक्षिण में– श्री बंजरग लाल का मकान ,जिसका पट्टा संख्या 25946 दिनांक 27.10.2007 से ग्राम पंचायत इटावा,पंचायत समिति ईटावा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी जसवीर सिंह के नाम जारीसुदा है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तिय सस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 23.12.2020 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)